राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक सं.3(3)(2)स्था / मंत्रा / अभि. / 2020 / 5124-32 दिनांक :– 4/6/2020

अभियोजन विभाग में चयनित / आवंटित
अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन एवं कॉउंसलिंग के संबंध में।

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु. / अनु.–3 / 2020 जयपुर दिंनाक 16.05.2020 एंव परिपत्र क्रंमाक प.1(1)प्र.सु. / अनु.–3 / 2020 पार्ट जयपुर दिंनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2018 में चयनित इस विभाग में आवंटित 371 (NON-TSP) अभ्यर्थियों तथा 14 (TSP) अभ्यर्थियों को जिलो का आवंटन एंव नियुक्ति प्रकिया अपनाई जानी है। **विभाग में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदो का विवरण संलग्न है।**

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के Documents Verification / Counseling का कार्य दिनांक 08.06.2020 से दिनांक 13.06.2020 तक **शहीद लेफ्टीनेंट अभय पारीक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर (ओल्ड) जयपुर** में किया जाना है। जिसके लिए Documents Verification / Counseling का कार्यक्रम निम्नांनुसार है–

क्र. सं.	काउंसलिंग की दिनांक	मैरिट संख्या	विशेष विवरण
1.	08-06-2020 (10:00 AM TO 01:30 PM)	916, 1267, 1306, 1930, 2040, 2208, 2232, 2284, 2429, 2468, 2472, 2496, 2519, 2541, 2545, 2554, 11586, 13453, 14578, 17670, 18225, 18269, 18430, 18541, 1229, 2487, 2136, 18453 TSP CANDIDATE MERIT NO. 13142 TO 24232 (TOTAL = 14)	सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति–पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो तथा टीएसपी क्षेत्र के 14 चयनित अभ्यर्थी।
2.	08-06-2020 (02:00 PM TO 05:30 PM)	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 359 TO 1648	वरियता अनुसार
3.	09-06-2020	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 1698 TO 2355	वरियता अनुसार
4.	10-06-2020	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 2365 TO 5374	वरियता अनुसार
5.	11-06-2020	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 5376 TO 12099	वरियता अनुसार

6.	12-06-2020	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 12152 TO 17105	वरियता अनुसार
7.	13-06-2020	NON-TSP CANDIDATE MERIT NO. 17246 TO 18688 तथा उपरोक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले शेष अभ्यर्थी	वरियता अनुसार

निर्देशानुसार अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सम्पन्न किया जावेगा।

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यकता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं पति–पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति–पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों मे से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति–पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।
5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्समय कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।
7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 4530–31 दिनांक 26.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने है। उक्त दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड–19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
9. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमाक प.1(1)प्र.सु. /अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर दिनाक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा। (परिपत्र संलग्न है।) उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार नियुक्ति

अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जावेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हो। इस सम्बन्ध में वरियता क्रम के साथ–साथ सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व जिलेवार किये जाने हेतु जिलेवार पदो का 20 प्रतिशत या न्यूनतम 2 पद को बिन्दु संख्या 7 के सन्दर्भ में अलग रखकर काउंसलिंग की जावेगी।

10. चयनित अभ्यर्थियो को निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 4530–31 दिनांक 26.05.2020 के अनुसार आवश्यक शपथ–पत्र एवं दस्तावेज Documents Verification / Counseling के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने है। तथा उक्त दस्तावेजो एंव शपथ पत्रों के अपूर्ण होने की स्थिति में जिले का आवंटन नहीं किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
11. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्ते भी नियत की जा सकेगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाए विभागीय वेबसाईट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रकियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाईट का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 18.05.2020 तथा रिक्त पदो की सूचना।

sd

(पी.सी.बेरवाल)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–03) विभाग राज0 जयपुर।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गांधी नगर, जयपुर।
5. जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक जयपुर।
6. प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर (ओल्ड) जयपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम जयपुर।
8. स्टोरकीपर अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड–19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक : प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक : 18-05-2020

–:: परिपत्र ::–

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी (Recruiting Agency) से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु।

राज्य सेवाओं से अतिरिक्त समस्त अधीनस्थ सेवाओं के सीधी भर्ती से चयनित कार्मिकों की प्रथम नियुक्ति हेतु जिला/जिले में स्थान का आवंटन जैसी भी स्थिति हो का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा In-person counseling के माध्यम से निम्नानुसार शर्तो के अधीन सम्पन्न किया जायेगाः–

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति–पत्नि प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरियताक्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जायेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्ति के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण किया जायेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति–पत्नि हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो में पदस्थापन किया जायेगा। इसी प्रकार पति–पत्नि में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला/जिले में स्थान में पदस्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला/जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जायेगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता–पिता अथवा पति/पत्नि असाध्य रोग से ग्रस्त हो/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा।
5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी, परन्तु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. काउंसलिंग हेतु उपरोक्त एवं विभाग द्वारा लागू की गयी अन्य आवश्यक शर्तो तथा रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
7. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह ध्यान रखा जायेगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला/जिले में स्थान में मिले अर्थात किसी वर्ग विशेष के अभ्यर्थी किसी एक जिला/जिले में स्थान में असंगत रूप से आवंटित नहीं हों।
8. नियुक्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जावे, साथ ही अभ्यर्थियों को जिला/जिले में स्थान का निर्धारण होने पर उनसे सहमति–पत्र प्राप्त किया जावे।
9. उपरोक्तानुसार किये गये जिला आवंटन से व्यथित अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं एवं न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण एवं क्षेत्ररक्षण संबंधित समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर ही करेंगे।

उपरोक्त परिपत्र तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. समस्त नियुक्ति अधिकारी / विभागाध्यक्ष।
9. रक्षित पत्रावली।

18/5/2020

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(NON-TSP) कनिष्ठ सहायक के कार्यरत/रिक्त पदों की जिले बार स्थिति दिनांक **04.06.2020**						
जिला	स्वीकृत पद			कार्यरत	रिक्त पद	विशेष विवरण
	कोर्ट	ऑफिस	योग			
निदेशालय	0	11	11	11	0	
अजमेर	22	3	25	3	22	
अलवर	23	4	27	10	17	
बांरा	6	4	10	0	10	
बाडमेंर	9	4	13	2	11	
भरतपुर	14	4	18	11	7	
भीलवाडा	16	4	20	1	19	
बीकानेर	10	4	14	0	14	
बून्दी	11	4	15	0	15	
चित्तौड़गढ़	11	4	15	1	14	
चूरू	6	4	10	5	5	
धौलपुर	7	4	11	1	10	
दौसा	6	4	10	1	9	
श्रीगंगानगर	12	4	16	8	8	
हनुमानगढ़	8	4	12	3	9	
जयपुर महानगर प्रथम	32	3	35	6	29	
जयपुर महानगर द्वितीय	31	4	35	7	28	
जयपुर देहात	16	4	20	7	13	
रा.उच्च न्याया.जयपुर	0	1	1	0	1	
जैसलमेर	2	4	6	0	6	
जालौर	5	4	9	2	7	
झालावाड़	6	4	10	1	9	
झुन्झुनू	7	4	11	7	4	
रा.उच्च न्याया.जोधपुर	0	1	1	0	1	
जोधपुर	20	3	23	2	21	
करौली	9	4	13	5	8	
कोटा	18	4	22	3	19	
नागौर	11	4	15	2	13	
पाली	13	4	17	3	14	
राजसमन्द	6	4	10	2	8	
सवाई माधोपुर	7	4	11	0	11	
सीकर	10	4	14	12	2	
सिरोही	4	4	8	2	6	
टोंक	9	4	13	5	8	
उदयपुर	10	4	14	0	14	
योग	**377**	**138**	**515**	**123**	392	

(TSP) कनिष्ठ सहायक के कार्यरत/रिक्त पदों की जिले बार स्थिति दिनांक **04.05.2020**						
जिला	स्वीकृत पद			कार्यरत	रिक्त पद	विशेष विवरण
	कोर्ट	ऑफिस	योग			
बांसवाडा	6	4	10	3	7	
डूंगरपूर	6	4	10	2	8	
प्रतापगढ़	3	4	7	0	7	
सिरोही	1	0	1	0	1	
उदयपुर	4	0	4	1	3	
योग	**20**	**12**	**32**	**6**	26	